निगरानी / टी.ए. / 8356 / 2006 / चुरू
चन्द्रावती बनाम दीपाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थित : श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थीया श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक अप्रार्थी दिनांक : 04–09–2025 **निर्णय** यह निगरानी न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 36 / 2006 में पारित निर्णय दिनांक 29–09–2006 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीया ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीया ने विरूद्ध अप्रार्थी के एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23–05–2006 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीया / अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29–09–2006 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अपील अपीलांट को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी पति पत्नि हैं, अप्रार्थी का यह कानूनी दायित्व बनता है कि वह अपनी पत्नि के भरण–पोषण हेतु आय अर्जित करे, अप्रार्थी का एक मात्र आय अर्जित करने का साधन कृषि भूमि है, जिसको वह विक्रय कर देगा तो आय का जरिया ही समाप्त हो जाएगा, प्रार्थीया ने केवल अपने पति के विरूद्ध इस आशय का स्थगन विचारण न्यायालय से चाहा था कि वह अपने नाम से दर्ज कृषि भूमि रहन बैय मुंतकिल ना करे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल इसी आधार पर कि अप्रार्थी के विरूद्ध स्थगन नहीं दिया जा सकता। अप्रार्थी यदि वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से को रहन बैय मुंतकिल कर देता है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी क्योंकि वह अपना व अपने बच्चों के भरण पोषण का आधार खो देगी, इस तरह प्रार्थीया के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन नहीं मानकर निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि कारित की गई है। वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है और पैतृक आराजी में प्रार्थीया का एवं उसकी पुत्री का जन्म से अधिकार है और वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की आराजी होने के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें त्रुटि कारित की गई है। जिससे कि निगरानीधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–09–2006 एवं विचारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–05–2006 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–09–2006 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि "रेस्पो0 / अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि को रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीया / अपीलांट, अप्रार्थी की पत्नी है। प्रार्थीया / अपीलांट रिकार्डेड खातेदार नहीं है। पति के जीवन काल में पत्नी को बतौर उत्तराधिकारी खातेदारी भूमि में कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए वह अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने की प्रथम दृष्ट्या अधिकार नहीं रखती है। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 23–05–2006 की पुष्टि की जाती है। अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।" का आदेश पारति किया है जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है जो कि उचित प्रतीत होता है जिसमें कि इस निगरानी के माध्यम से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–09–2006 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	